



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062021-227870
CG-DL-E-25062021-227870

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2348]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 25, 2021/आषाढ 4, 1943

No. 2348]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 25, 2021/ASHADHA 4, 1943

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2021

का.आ. 2526(अ).—जबकि भारी उद्योग विभाग ने दिनांक 8 मार्च, 2019 के का.आ. संख्या 1300(अ) के माध्यम से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का त्वरित अंगीकरण और विनिर्माण स्कीम, चरण-II (फेम इंडिया चरण-II) को अधिसूचित किया था,

2. और जबकि फेम इंडिया फेज-II स्कीम की धारा 5 कहती है कि "देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के त्वरित अंगीकरण और इसके विनिर्माण पारितंत्र के विकास के लिए स्कीम को 01 अप्रैल, 2019 से 3 वर्षों के लिए कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है,

3. अब, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि फेम इंडिया स्कीम, चरण-II को दो वर्षों की अवधि के लिए अर्थात् 31 मार्च, 2024 तक के लिए विस्तारित किया जाएगा।

4. अतः, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का त्वरित अंगीकरण और विनिर्माण स्कीम, चरण-II (फेम इंडिया फेज-II) संबंधी दिनांक 8 मार्च, 2019 की अधिसूचना संख्या 1300(अ) तदनुसार संशोधित की जाती है।

[फा. सं. 6(02)/2019-एनएबी-II(ऑटो)]

अमित मेहता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES**(Department of Heavy Industry)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 25 June, 2021

S.O. 2526(E).—Whereas, the Department of Heavy Industry notified the scheme namely Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles in India Phase II (FAME India Phase II) *vide* S.O. No. 1300 (E) dated 8th March 2019.

2. And whereas, Clause 5, of the FAME India Phase II scheme states “The scheme is proposed to be implemented over a period of 3 years, w.e.f 1st April 2019, for faster adoption of electric mobility and development of its manufacturing eco-system in the country”.

3. Now with the approval of the competent authority, it is decided that FAME India Phase II scheme is extended for a period of two (2) years i.e. up to 31st March 2024.

4. Therefore, Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles in India Phase II (FAME India Phase II) scheme notification *vide* S.O. No. 1300(E) dated 8th March 2019 stands amended accordingly.

[F. No. 6(02)/2019-NAB-II(Auto)]

AMIT MEHTA, Jt. Secy.